

**ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

कौशल्या देवी पुत्री श्री अमर चन्द, गांव बड़ोता, डाकघर चण्डी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा,
हिमाचल प्रदेश वादिया।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत चण्डी, विकास खण्ड चम्बा प्रतिवादी।

विषय.—जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 4281/2025 दिनांक 28-07-2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2025/15955, दिनांक 24-07-2025, (2) शपथ पत्र आवेदिका, (3) शपथ-पत्र वाशिन्दगान देह, (4) जन्म रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (6) परिवार रजिस्टर नकल, (7) वोटर कार्ड, (8) आधार कार्ड, जिसमें आवेदिका कौशल्या देवी पुत्री श्री अमर चन्द, गांव बड़ोता, डाकघर चण्डी, ग्राम पंचायत चण्डी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्ही कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका कौशल्या देवी पुत्री श्री अमर चन्द, गांव बड़ोता, डाकघर चण्डी का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 24-07-2025 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कौशल्या देवी पुत्री श्री अमर चन्द, गांव बड़ोता, डाकघर चण्डी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 01-07-1973 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका कौशल्या देवी पुत्री श्री अमर चन्द, गांव बड़ोता, डाकघर चण्डी की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव चण्डी को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 29-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—

नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

श्री कैलाश चन्द पुत्र श्री विधया राम, गांव घाड़ी, डाकघर राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा,
हिमाचल प्रदेश वादी।

बनाम

विषय.—मृत्यु तिथि प्रविष्ट करने बारा ।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 4278/2025 दिनांक 28-07-2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024/15949, दिनांक 24-07-2025, (2) शपथ पत्र आवेदक, (3) शपथ-पत्र वाशिन्दगान देह (4) मृत्यु रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (6) प्रधान रिपोर्ट जिसमें श्री कैलाश चन्द पुत्र श्री विधया राम, गांव घाड़ी, डाकघर राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के चाचा श्री कर्मू पुत्र श्री चेतु, ग्राम पंचायत रूपणी की मृत्यु तिथि किन्ही कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक के चाचा श्री कर्मू पुत्र श्री चेतु, ग्राम पंचायत रूपणी की मृत्यु तिथि दर्ज न हुई है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि प्रधान रिपोर्ट व जारी मृत्यु रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 24-07-2025 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कर्मू पुत्र श्री चेतु, ग्राम पंचायत रूपणी, परगना राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, की मृत्यु तिथि 12-02-2004 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक के चाचा श्री कर्मू पुत्र श्री चेतु, ग्राम पंचायत रूपणी परगना राजनगर की मृत्यु तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव रूपणी को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 29-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—

नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Chamba, District Chamba (H. P.)

Rahul Mahajan s/o Mohan Mahajan, resident of Mohalla & P.O. Hardaspura, Tehsil & District Chamba (H. P.)

and

Chandani d/o Late Sh. Rattan Chand, resident of VPO Panjoh, Tehsil & District Chamba, H.P.

Versus

The General Public

Subject.— Registration of Marriage under Section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 (Act No. 21 of 1997).

Whereas, the above named applicants have made an application before me under section 8(4) of H.P. Registration of Marriages Act, 1996 alongwith relevant records and affidavits stating therein that they have solemnized their marriage on 22-02-2023 at their place of residence with

prevailing rites and customs but due to some un-avoidable circumstances it could not be entered in the records of Gram Municipal Council Chamba, Distt. Chamba, H.P. well in time.

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the registrar of marriage and now, therefore, necessary orders for the registration of their marriage be passed, so that their marriage could be registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if, anyone has any objection regarding the registration of marriage of above named applicants, they should appear before the undersigned in my court on or before 28-08-2025 at 2.00 P.M. either personally or through their authorised agent/pleader.

In the event of their failure to do so, orders shall be passed *ex-parte* for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the Court on this 28-07-2025

Seal.

Sd/-
(PRIYANSHU KHATI, IAS),
Sub-Divisional Magistrate,
Chamba, District Chamba (H.P.).
